न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 2879 सन् 2026,

01. नासिर पुत्र आरिफ,

02. नाजिम पुत्र आरिफ,

03. आसिफ पुत्र आरिफ,

04. नाजरीन पुत्री आरिफ, निवासीगण मोहल्ला पडौकियान, कस्बा व थाना कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर। .....आवेदकगण/अभियुक्तगण।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्याः–515 सन् 2026,

अन्तर्गत धाराः–352, 351(2), 115(2) व 333 व 117(2) बी.एन.एस.

थानाः–कोतवाली नगर, जिला बुलन्दशहर।

–::निस्तारण अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्रः:–

01. आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र उपरोक्त प्रकरण में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

02. आवेदकगण/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) को अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना गया एवं उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

03. आवेदकगण/अभियुक्तगण की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 482 बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। सह–अभियुक्तगण राजेन्द्र, बसन्त कुमार, आदि का जमानत प्रार्थनापत्र पूर्व में स्वीकार किया जा चुका है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की है।

04. मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा मौ0 जाकिर ने थाना हाजा पर सूचना दी कि दिनांक 21.05.2026 को दोपहर के लगभग 12.00 बजे वादी अपने घर पर बैठा था कि अचानक घर के अन्दर आवेदकगण/अभियुक्तगण घुस गये और गाली गलौंच की और कनीज व शब्बो को उक्त चारों ने मिलकर काफी मारा और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। अभियोग पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित हुई।

05. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौज0 द्वारा प्राथमिकी में वर्णित कथनों पर बल देते हुए यह कथन किया गया है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण की अपराध में सक्रिय भूमिका है तथा आरोपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। इन कथनों के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

06. अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

07. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदकगण/अभियुक्तगण पर यह आरोप है कि उनके द्वारा वादी मुकदमा के घर में घुसकर उसके व उसके परिवारीजन के साथ मारपीट की गयी तथा जान से मारने की धमकी दी।

चोटहिल तनिश बेगम की आघात आख्या में उसे चोट संख्या–1 सिर में बॉयी ओर नीलगू, चोट संख्या–2 चेहरे की बॉयी ओर सूजन, चोट संख्या–3 चेहरे की बॉयी तरफ लाल नीलगू, चोट संख्या–4 फटा हुआ घाव गाल के बॉयी ओर, चोट संख्या–5 खुरसट बॉए गाल पर, चोट संख्या–6 जबड़े में दर्द, चोट संख्या–7 नाक से खून तथा चोट संख्या–8 लाल नीलू गर्दन पर बॉयी तरफ तथा चोट संख्या–9 लाल नीलगू बॉये कन्धे पर आना दर्शित किया गया है। चोट संख्या–1,2,6 व 7 को जेरे निगरानी रखा गया है। एक्स–रे रिपोर्ट में जबड़े में हेयर लाईन फ्रेक्चर आना दर्शित किया गया है।

चोटहिल शब्बो की आघात आख्या में चोटहिल को चोट संख्या–1 नीलगूयुक्त सूजन सिर पर बॉयी ओर, चोट संख्या–2 नीलगूयुक्त सूजन गर्दन के पीछे, चोट संख्या–3 लाल नीलगू दाहिने कन्धे पर, चोट संख्या–4 लाल नीलगू दाहिनी तरफ छाती पर, चोट संख्या–5 लाल नीलगू बॉयी ओर छाती पर, चोट संख्या–6 लाल नीलगू बॉयी ओर छाती पर तथा चोट संख्या–7

Digitally signed by SANJAY SINGH
Date: 2026.06.09 16:43:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नीलगू दाहिनी ओर छाती पर आना दर्शित किया गया है। चोट संख्या–1,2 व 4 को जेरे निगरानी रखा गया है।

आवेदकगण/ अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा विचारणीय है तथा सात वर्ष से अधिक के दण्ड से दण्डनीय नहीं है। इस स्तर पर अभियोजन का यह कथन नहीं है कि आवेदकगण/ अभियुक्तगण को हिरासत में लेकर किसी वस्तु अथवा सम्पत्ति की बरामदगी किया जाना आवश्यक है। आवेदकगण/ अभियुक्तगण का पूर्व का आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा इस स्तर पर दर्शित नहीं किया गया है। प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह न्यायालय आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र विचारण की समाप्ति तक स्वीकार किये जाने का आधार पाता है। तदनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य हैं।

आदेश

आवेदकगण/अभियुक्तगण उपरोक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण को निम्नलिखित शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती हैः–

01. अभियुक्तगण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगे, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके।
02. अभियुक्तगण न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोडेंगें।
03. अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर छूटने के बाद पुनः कोई अपराध कारित नहीं करेगें।
04. अभियुक्तगण आधार कार्ड या स्थाई निवास प्रमाणपत्र की सत्यप्रति दाखिल करेगें।
05. अभियुक्तगण जमानत पर रिहा होने के उपरान्त प्रत्येक माह के दसवें कार्य दिवस को सम्बन्धित न्यायालय में हाजिर होकर आरोपपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित होने पर अविलम्ब आरोपपत्र की प्रति प्राप्त करना सुनिश्चित करेगें, जिससे प्रकरण का शीघ्र निस्तारण किया जा सकेगा।
06. अभियुक्तगण अग्रिम जमानत पर रिहा होने के बाद आरोप विरचित किये जाने के समय, साक्ष्य अभिलिखित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों को अंकित किये जाने के समय कोई स्थगन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं करेंगें तथा आरोप विरचित किये जाने के समय व बी.एन.एस.एस की धारा 351 के कथनों के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे तथा शेष अन्य तिथियों पर नियमित रूप से व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेंगे और उनके बिना किसी यथोचित कारण के अनुपस्थित रहने पर विचारण न्यायालय उनके विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु स्वतन्त्र होगा।
07. अभियुक्तगण विचारण के शीघ्र निस्तारण में पूर्ण सहयोग करेगें।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदकगण/अभियुक्तगण को इस अपराध में गिरफ्तार किया जाता हैं अथवा न्यायालय में आत्मसमर्पण करते है, तो अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा अंकन 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का निजी बंधपत्र तथा इतनी धनराशि के दो संतोषजनक प्रतिभू, प्रस्तुत करने पर उसे उपरोक्त शर्तो के अधीन विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर छोड़ दिया जाये। आवेदकगण/ अभियुक्तगण अन्दर 15 दिन जमानतनामें निष्पादित करना सुनिश्चित करे।

इस आदेश की एक प्रति वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर व जिला शासकीय अधिवक्ता–फौ0 को सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

(संजय सिंह–।)
सत्र न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

दिनांक : 09.06.2026

शिवम गौड़–आशुलिपिक,